राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2200 / 2025	नाथूलाल यादव	शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।
2.	2201 / 2025	शैतान मल यादव	
3.	2202 / 2025	मालीराम मीणा	
4.	2203 / 2025	हनुमान सहाय यादव	
5.	2204 / 2025	कैलाश चन्द्र चौधरी	
6.	2205 / 2025	मुरलीधर मीना	
7.	2206 / 2025	रविकान्त वशिष्ठ	
8.	2207 / 2025	पवन कुमार शर्मा	
9.	2208 / 2025	राजेन्द्र कुमार सैन	
10.	2209 / 2025	रामचन्द्र सैनी	
11	2210 / 2025	देवेन्द्र कुमार शर्मा	
12.	2211 / 2025	मुरलीधर यादव	

आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में विषय बिन्दू एक ही है। अतः समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा हैं। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2200 / 2025 के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 25.03.1995 (अनुलग्नक–1) के द्वारा की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.1995 को कार्यग्रहण किया था। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने सत्रान्त पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.05.1995 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया। उक्त आदेश के पश्चात प्रत्यथी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 29.06.1995 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी की पुनः नियुक्ति की, जो पूर्व के आदेश दिनांक 25.03.1995 की पालना में कार्यग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार दो वर्ष के परीविक्षाकाल पर पुनः नियुक्ति प्रदान की गई

थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1995 को कार्यग्रहण किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति नियमित थी, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की सेवाओं की गणना दिनांक 31.03.1995 से नहीं करते हुए अपीलार्थी को ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन नहीं किया गया और अपीलार्थी की सेवाओं की गणना ग्रीष्मावकाश के पश्चात् से करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अपीलार्थी उक्त चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.03.1995 से सेवाओं की गणना करते हुए प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण को निवेदन करने के बावजूद आज तक उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवाओं की गणना कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 पारित कर याची की सेवाओं की गणना नियमित नियुक्ति की दिनांक से किये जाने के निर्देश दिये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11147/2020 में उक्त न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय को दृष्टितगत रखते अभ्यावेदन निर्णित करने के निर्देश दिये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी भी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायायल के उक्त निर्देशानुसार मामले का निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किये जाने के निर्देश दिये जायें।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की

अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2014 के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)